न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी।राज0।
पीठासीन अधिकारी :— बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :— 69/2021 ई.रे.

उदयलाल पिता हजारीलाल लौहार निवासी भाणुजा तह0 बडीसादडी।

——वादी

बनाम

1— कमलेश पुत्र गणपतलाल उर्फ गोपीलाल लौहार निवासी जलौदा जागीर तह0 छोटीसादडी
2— शकुन्तला पुत्री गणपतलाल पत्नी सुन्दरलाल लौहार निवासी जलौदा जागीर तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
3— गणपतलाल उर्फ गोपीलाल पिता रामबगस जी लौहार निवासी जलौदा जागीर तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
4— भुमीधारी तहसीलदार बडीसादडी ——प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 रा0टै0एक्ट

उपस्थित :— श्री प्रकाश चन्द्र मोगरा अधिवक्ता वादी की और से
श्री निलेश सर्राफ अधिवक्ता प्रतिवादी न.1,2,3 की और से

// निर्णय // दिनांक :— 26/09/2023

वादी की और से दिनाक 27—8—2021 को वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88—188 रा0टै0एक्ट का प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जिसमे वादी ने यह तथ्य अंकित किया कि ग्राम भाणुजा तह0 बडीसादडी मे आराजी नम्बर 865 रकबा 0.08 हैक्ट्रयर, आराजी नम्बर 874 रकबा 0.01 हैक्ट्रयर आराजी नम्बर 875 रकबा 0.01 हैक्ट्रयर आराजी नम्बर 876 रकबा 0.66 कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 0.76 हैक्ट्रयर लगानी 14.06 पैसा स्थित है जिसमे खातेदार प्यारी पुत्री गमेरा जी जाति लुहार निवासी भाणुजा हाल मुकाम जलोदा जागीर का 1/2 हिस्से की खातेदार है उक्त प्यारी खातेदार की मृत्यु दिनाक 8—3—2020 को हो जाने के कारण उक्त खातेदार प्यारीबाई ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनाक 11—9—2015 को अपने भतीजे उदयलाल पिता हजारीलाल निवासी भाणुजा के पक्ष मे निष्पादीत किये जाने से उक्त वसीयत खातेदार के मरने के बाद प्रभावी हो गई तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर न्यायालय से अनुतोष चाह गया उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी न.1,2,3 की और से श्री निलेश सर्राफ अधिवक्ता ने वकालत नामा पेश कर जवाब दवा इकबाली पेश किया जिसमे यह कथन किया की प्यारीबाई उर्फ प्रेमबाई हमारी माता व गणपतलाल की पत्नी थी जिसका देहान्त हो गया प्यारीबाई द्वारा वसीयतनामा भतिजे उदयलाल (वादी) के पक्ष मे करवाया गया जिसकी जानकारी है तथा उक्त जमीन मे हम

अपना कोई हिस्सा व हक प्राप्त नही करना चाहते व प्रतिवादी न.4 के विरुध एक पक्षीय कार्यवाही बावजूद तामील के उपस्थित नही होने से की गई ।

चुकी इकबाली जवाबदावा पेश होने से तनकीयात कायम नही की गई तथा वादी की साक्ष्य मे पी0डब्लयु–1 वादी उदयलाल, पी0डब्लयु–2 गणपतलाल, पी0डब्लयु–3 रतनलाल के बयान हुऐ एक दस्तावेज साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी प्रदर्श –1, मृत्यु प्रमाण पत्र मु0 प्यारीबाई का प्रदर्श –2 व वसीयत नामा प्रर्दस–3 एवं फोटोकापी तहसीलदार बडीसादडी को वादी ने नामान्तरण खोलने बाबत् पेश किया साक्ष्य का अवलोकन एवं दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान मे रखते हुऐ सर्वप्रथम खातेदार कौन है व खातेदार द्वारा मरने से पुर्व हिन्दु लॉ के अनुसार किसको खातेदार माना जावेगा इसी प्रश्न का निर्धारण किया जाना उचित होगा वाद पत्र के अनुसार खातेदार प्यारी पिता गमेरा लुहार निवासी भाणुजा नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 के अनुसार खातेदार 1/2 हिस्से की है उक्त खातेदार द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत मरने के करीबन 5 वर्ष पुर्व ही कर दी और वसीयत रजिस्टर्ड है जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है रा0टै0एक्ट की धारा 39 के अर्न्तगत यह स्पष्ट है की खातेदार द्वारा अपना हिस्सा अगर हिन्दु है तो व्यक्तीगत कानुन हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वसीयत कर सकता है ऐसी सुरत मे खातेदार द्वारा की गई वसीयत के अनुसार वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है खातेदार की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रदर्श–2 है व वसीयत प्रदर्श –3 है इसकी ताईद खातेदार के पति व वादी ने की है जिससे उक्त दस्तावेज साबित होता है व खातेदार के मरने के बाद उपरोक्त वर्णित आराजी पर कास्त भी वसीयत ग्रहीता वादी उदयलाल कर रहा है उसके कब्जे मे खण्डन मे कोई साक्ष्य नही होने से वादी वसीयत के आधार पर वाद पत्र मे वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से पर कास्त करने से वादी का कब्जा भी साबित होता है ।

अतः– वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवे दस्तावेजी साक्ष्य से वादी अपने वाद पत्र को साबित करने मे सफल रहा है इस कारण ग्राम भाणुजा तह0 बडीसादडी मे स्थित आराजी नम्बर 865 रकबा 0.08 हैक्ट्रयर, आराजी नम्बर 874 रकबा 0.01 हैक्ट्रयर, आराजी नम्बर 875 रकबा 0.01 हैक्ट्रयर, आराजी नम्बर 876 रकबा 0.66 कुल किता 4 कुल क्षैत्रफल 0.76 हैक्ट्रयर लगानी 14.06 पैसा मे 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है इसी अनुसार डिकी पर्चा मुर्तीब हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/09/2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं भू-अभिलेख न्यायालय बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़